**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 560 सन 2018
अनवान :–

1. कलवन्त सिह पुत्र टहलसिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

वादी

**बनाम**

1. मंगलसिह 2 खजानसिह पुत्रान गेजासिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. कलवन्द्रिसिह उर्फ बलविन्द्रसिह पुत्र साधुसिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. शलिन्द्र कौर पत्नि शलेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. कमरजीत कौर 6 चरणजीत कौर पुत्रिया शलेन्द्र जाति जटसिख निवासी रतनपुरा
7 गुरजीतकौर उर्फ गुरप्रित कौर नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता शलिन्द्रकौर जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. अमृतसिह पुत्र शलेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9 गुरतेज पुत्र हरभजन जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10 सर्वजीत पुत्री हरभजन नाबालिग जरिये संरक्षिका दादा गुरूदेव कौर पत्नि साधुसिह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
**निर्णय दिनांक :–** 26-12-18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा 11 केएनएन के खाता संख्या 54/53 के प0न0 322/374(51) के किला न0 1/0.2150 ,10/0.2530हैक कुल 0.4680हैक भूमि जिसमें बलवन्तसिह पुत्र टेहलसिह 5/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 मंगलसिह 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 खजानसिह 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/15 व प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के पिता हरभजन के नाम 1/15 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है ।

प्रतिवादीया संख्या 4 की पुत्री लखप्रितकौर अविवाहित फोत हो चुकी है जिसके हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 शलिन्द्र , व वादी है हरभजन फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ,11 है

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बसन्तसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता एवं उसके भाइयों के नाम से दर्ज हुई है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने घरू बटवारा में वाद भूमि वादी को दी हुई है इसलिये वाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से दर्ज हुई है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है किन्तु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के घरू बटवारा में वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई जो वह काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से दर्ज हे जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के घरू बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पूर्वज बसन्तसिह के नाम से दर्ज थी जिसके दो पुत्र टेहलसिह एवं गेजसिह हुए गेजसिह का देहान्त हो चुका है जिसके तीन पत्र साधुसिह मंगलसिह खजानसिह हुए साधुसिह का देहान्त हो चुका है जिसे वारिस शलेन्द्रसिह का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस उसके पत्नि/पुत्र/पुत्रिया हुए इस प्रकार गेजसिह के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 हुए जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 एवं वादी जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से बटवारा कर लिया जिसमें वादी भूमि वादी को प्राप्त हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 54/53 के प0न0 332/374(51) के किला न0 1 की 0.215हैक 10/0.253हैक कुल 0.4680हैक भूमि जिसमें प्रतिवादी सख्या 1 मंगलसिह 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 खजानसिह 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 व लखप्रित कौर मृतक का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 3 का 1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 ,10 के पिता हरभजन मृतक के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज है को कलमजन किया जाकर वादी अकेला खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलगन 5000/– का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावेयदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26-12-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

SAZaidi

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official